संख्या-138/2021/794/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टीसी

प्रेषक,

महेश कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 09 सितम्बर, 2021

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 मद में सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन ।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-2099/नाबार्ड योजना (चालू कार्य/आवंटन)/2021-22, दिनांक 06.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 04 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 04 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त 04 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु **सारिणी के स्तम्भ-12 के अनुसार** रू0 5,59,98,000/-(रूपये पांच करोड़ उनसठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 4.4121 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 1.1877 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 04 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 101-पुल, 34-नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य**एवं अनुदान सं0-83 के**

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, 16-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयगराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-138/2021/794/23-9-2021-14नाबार्ड (सेतु)/2020टीसी, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अब तक आवंटन (सेतु निगम)	दि0 01.04.2021 का अवशेष (सेतु निगम)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
									अनु-0 57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर में ब्लाक जैतीपुर के ग्राम मढई-कोटापट्टी मार्ग पर बहगुल नदी के मढई घाट पर सेतु निर्माण	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु)/ 2020 दि0 27.03.2020	1229.67	1229.67	0.00	822.80	406.87	78.36	21.09	99.45
2	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में ग्राम भगवानपुर-अम्बेहटा मार्ग निकट ग्राम चन्दैनाकोली में हिण्डन नदी पर सेतु	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु)/ 2020 दि0 27.03.2020	1174.59	1174.59	0.00	939.67	234.92	138.82	37.37	176.19
3	रामपुर	जनपद रामपुर में ग्राम मनोना पदपुरी मार्ग पर भाखड़ा नदी पर सेतु	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु)/ 2020 दि0 27.03.2020	760.83	760.83	0.00	204.77	556.06	138.39	37.26	175.65
4	बरेली	जनपद बरेली में ज्योति जागीर-धिमरी मार्ग पर कैलाश नदी पर सेतु	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु)/ 2020 दि0 27.03.2020	1301.71	1301.71	0.00	1041.37	260.34	85.64	23.05	108.69
			कुल योग-	**4466.8**	**4466.8**	**0.00**	**3008.61**	**1458.19**	**441.21**	**118.77**	**559.98**

(अवमुक्त धनराशि रू0 पांच करोड़ उनसठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव

http://sh...in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।